उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग
संख्या-1/812/43-1-2013-3(7)2004
लखनऊ:दिनांक 21 जुलाई,2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्रीमती कविता श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी,प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 को अवकाश नकदीकरण के भुगतान विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या- संख्या-1548/43-1-2013-3(7)2004, दिनांक 17 अक्टूबर,2013 को धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-2014 में न हो सकने के कारण निरस्त करते हुये इनके अवकाश लेखे में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि 31-7-2013 तक अवशेष 238 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति वित्त सामान्य अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-4-1327/20-2000/77,दिनांक 18 जनवरी,1979 सपठित शासनादेश संख्या-023/दस-85-205/84, दिनांक 14-6-1985 व शासनादेश संख्या-4-383/दस-99-2000/88, दिनांक 01-7-1999 में निहित प्राविधानों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2- उक्त नकदीकरण की देय धनराशि का भुगतान श्रीमती कविता श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी,प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 को किया जायेगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपार्जित अवकाश का नकदीकरण 300 दिन की सीमा के अन्दर है।

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या' 62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-02-दिनांक 08 नवम्बर,2000 के पश्चात सेवानिवृत्त हित लाभ के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

परशुराम प्रसाद
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निहम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार लेखा को एक अतिरिक्त प्रति सहित।

4- श्रीमती कविता श्रीवास्तव, स्वैच्छिक सेवानिव़त्त समीक्षा अधिकारी,प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1, निवास-ई-एस-1/508, सेक्टर-ए-सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ।

5- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-5 (अधि0)

6- प्रशासानिक सुधार अनुभाग-1 को इस आशय से कि उक्त आदेश को इन्टरनेट की बेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in